SPEAKERS: CA SANJAY GUPTA (DELHI)
15 YEARS EXPERIENCE AS A TRAINER ON NGO'S

IS 15700:2005 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–सप्तम
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स (द्वितीय तल), भूतनाथ मन्दिर मार्ग, इन्दिरा नगर,
सेवोत्तम प्रमाणित लखनऊ। दूरभाष स0–0522–2312029 E-mail- cd7lko@upavp.com

पत्रांक– 897/Y–5/160 दिनांक– 18.05.2018

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि लखनऊ महानगर की आवासीय समस्या के समाधान हेतु शहीद पथ के किनारे सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (**अवध विहार योजना**) लखनऊ नामक आवासीय योजना का उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालन किया जा रहा है जिसमें निहित ग्राम हरिहरपुर, सरसंवा, अहमामऊ, घुसवल कला, बरौली खलीलाबाद, सेवई, देवामऊ एवं बरौना की भूमि का उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिवत अर्जन किया गया है, जिसके अन्तर्गत ग्राम हरिहरपुर, सरसंवा, अहमामऊ, बरौली खलीलाबाद, सेवई एवं बरौना की ग्रीन बेल्ट, फायरिंग रेन्ज एवं डेन्जर जोन की भूमि भी सम्मिलित है, जिसकी धारा–28 का प्रकाशन दिनांक 07.08.2004 तथा धारा–32 का प्रकाशन दिनांक 07.10.2006 को किया गया है। इस योजना क्षेत्र में भूमि का क्रय–विक्रय (खरीद–फरोख्त) अथवा बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के किसी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

संज्ञान में आया है कि कतिपय लोगों द्वारा योजना क्षेत्र में स्थित भूमि का अवैध रूप से क्रय–विक्रय (खरीद–फरोख्त) एवं अवैध रूप से निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है जो कि अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि परिषद की अवध विहार योजना क्षेत्र में कोई भी क्रय–विक्रय (खरीद–फरोख्त) न किया जाय एवं जिनके द्वारा कोई भी निर्माण/विकास कार्य कराया गया है वह अपना निर्माण इस नोटिस की प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर अवश्य हटा लें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगें एवं इसके लिये बाद में उनका कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

अधिशासी अभियन्ता

IS 15700 : 2005

आईएसओ प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्र सं0–75 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0–(प्रत्या0–खसरा सं0–1666, ग्राम बरौलीखलीलाबाद) दिनाक– 12.04.2018

नोटिस

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम सख्या– 1, 1966) की धारा –33 के अन्तर्गत नोटिस)

लखनऊ शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ शहर में 'सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थन योजना, लखनऊ' बनायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या– 1, 1966)' की धारा –28 के अन्तर्गत नोटिस संख्या– 1245 / भू0अ0–दो दिनांक 17.07.2004 का प्रकाशन उत्तर प्रदेश गजट में क्रमशः दिनांक 07.08.2004, दिनांक 14.08.2004 एवं दिनांक 21.08.2004 को कराया गया था जिसमें समाविष्ट योजना की सीमायें निम्न प्रकार हैः–

उत्तरः– लखनऊ सुल्तानपुर रोड खसरा संख्या–1051, ग्राम सरसवां परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या– 626, ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

पूरबः– खसरा संख्या 631, 639, 638, 640, 641, 642, 643 ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनार, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 64, 50 ग्राम चक कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या – 646 ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, तथा खसरा संख्या – 3, 2, 1, 12, 15, 16, 17, 18 ग्राम चक कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

दक्षिणः– नहर खसरा संख्या 367, 371, ग्राम निजामपुर मझगांवा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 281, 277, ग्राम बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या – 319, ग्राम निजामपुर मझगांवा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ खसरा संख्या 276, 275, ग्राम बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 695 भाग 721, 718, 721, 716, 710, 711, 712 ग्राम सेवई, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम सरथुआ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा बिरूरा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

पश्चिमः– लखनऊ रायबरेली रेलवे लाइन की सीमा स्थित ग्राम बरौली खलीलाबाद, ग्राम शकूरपुर, ग्राम हरिहरपुर, ग्राम मलाक, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, तथा सीमा दिलकुशा छावनी, परगना, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 1250, 1556, 1257, 1259, 1231, 1228, 1227 ग्राम सरसवां, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–7, उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते है।

उक्त योजना के सम्बन्ध में परिषद अधिनियम – 1965 की धारा– 28 से 31 तक की अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अन्तिम रूप से परिषद अधिनियम– 1965 की धारा– 32(I) का प्रकाशन दिनांक 07.10.2006 को कराते हुये 1524.33 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु योजना संचालित की गयी। तदोपरान्त 893.94 एकड़ भूमि का एवार्ड घोषित किया गया।

योजना का सुचारू रूप से संचालन किये जाने के उपरान्त परिषद-अधिनियम– 1965 की धारा– 28 दिनाक 07.08.2004 को एवं धारा –32(I) दिनांक 07.10.2006 को प्रकाशित अधिसूचना के दृष्टिगत परिषद के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम बरौली खलीलाबाद, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या – 1666 का रकबा त्रुटिपूर्ण रूप से धारा–28 की सूची में 0–19–4 बीघा (0.243 हे0) अंकित है जबकि उक्त खसरे का कुल रकबा भूलेख के अनुसार 4.920 हे0 है योजना की धारा – 32 की सूची में वन विभाग की आंशिक भूमि रकबा 0.243 हे0 पृथक करने पर खसरा सं0– 1666 ग्राम – बरौली खलीलाबाद की भूमि शून्य हो गयी है जबकि उक्त भूमि परिषद की योजना के अन्दर है, जो परिषद योजना के समुचित विकास एवं निर्माण के लिए वांछित एव उपयोगी है।

उक्त त्रुटि के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप में यह दृष्टिगोचर हुआ कि परिषद की सुल्तानपुर रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध बिहार योजना) लखनऊ ही नही प्रभावित हुयी, बल्कि जनमानस भी इससे प्रभावित हुआ क्योंकि योजना में आवासों हेतु जनमानस को भी असुविधा हुयी।

उपर्युक्त के दृष्टिगत परिषद की सुल्तानपुर रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में परिवर्तन वांछनीय है। अतः मा0 परिषद की 239वीं बैठक दिनांक 21.10.2016 के मद संख्या–239 / 22 के द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम– 1965 की धारा– 33 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये तालिका के क्रमांक –01 से 09 के अन्तर्गत आने वाले (क्रमाक4(4) व क्रमांक 7(1) एवं क्रमांक 9(1) को छोड़कर) निम्नाकित 16 व्यक्तियों को इस आशय की नोटिस जारी की जा रही है। कि परिषद के उक्त संशोधित प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां इस नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेंगे। यह भी सत्यापित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में निर्धारित तिथि तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त संशोधित प्रस्ताव से किसी को कोई आपत्ति नही है और तदनुसार परिषद अग्रेतर विधिक कार्यवाही करेगी।

भूमि का विवरणः– खसरा संख्या – 1666, ग्राम बरौली खलीलाबाद, परगना–बिजनौर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला लखनऊ।

क्रमांक	खाता संख्या	खसरा संख्या / रकबा हे0 में0	भूलेख (बेवसाइट) के अनुसार भूस्वामी का नाम व पता
1	11	1666 / 4 0.253	1– श्री अशर्फीलाल, पुत्र स्व0 मोहकम, निवासी ग्राम धोंधनखेड़ा मजरा बरौली, खलीलाबाद, लखनऊ 2– श्री शिव प्रसाद, पुत्र लाल बहादुर, निवासी–ग्राम चिरैयाबाग, मजरा उतरेठिया, लखनऊ
2	146	1666 / 5 0.253	1– श्री शिवदर्शन पुत्र राम लोचन, निवासी ग्राम व पो0–अमराईगांव, लखनऊ
3	10	1666 / 8 0.063	1– श्री अशर्फीलाल, पुत्र स्व0 मोहकम, निवासी ग्राम धोंधनखेड़ा मजरा बरोली खलीलाबाद, लखनऊ
4	111	1666मि0 1.063	1– श्री मोहन सिंह / देवसिंह, निवासी – धोंधनखेड़ा, शान्तीनगर, लखनऊ 2– श्री बलवन्त सिंह, नाबालिक, सं0 सरस्वती, माँ पुत्र जगत सिंह, निवासी–धोधनखेड़ा, शान्तीनगर, लखनऊ। 3–श्री हरीश सिंह / तेज सिह, निवासी–धोंधनखेड़ा, शान्तीनगर, लखनऊ 4– मै0 गोल्डेन आई टाउन / प्लानर्स, प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा, निवासी –1 / 76, विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ। **नोट–क्रमांक–4 पर अंकित आवेदक के हिस्से की 0.684 हे0 भूमि की रजिस्ट्री परिषद पक्ष में हो चुकी है।**
5	112	1666 0.202	1– श्री रमेश सिंह पुत्र भीम सिंह, निवासी– पंचौड़ा, तह0 व जिला– बागेश्वर, उत्तरांचल
6	139	1666 1.265	1:– श्री शमशेर सिंह / जगबीर सिंह, निवासी–ग्राम धोंधनखेड़ा मजरा बरौली, खलीलाबाद, लखनऊ 2:– श्रीमती ज्ञानवती पत्नी वेदप्रकाश, निवासी – ग्राम–धोंधनखेड़ा मजरा बरौली खलीलाबाद, लखनऊ 3:– श्री अभय उपाध्याय पुत्र स्व0 जगेश उपाध्याय, निवासी –हरीनगर दुगौंवा, लखनऊ। 4:– श्री चमनलाल, पुत्र स्व0 जगन्नाथ, निवासी – ग्राम धोंधनखेड़ा मजरा बरौली खलीलाबाद, लखनऊ 5:–श्री मेवालाल पुत्र फिरतू यादव, निवासी– 12 / 758, सेक्टर12, इन्दिरानगर, लखनऊ 6:– श्री करूणा सागर, श्रीवास्तव पुत्र शकर प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी– 311 / के–4, विवेक नगर, जिला– प्रतापगढ़
7	214	1666 / 2 0.822 हे0	1:– वन विभाग
8	81	1666 / 3 0.344	1:–श्री बराती / गुरूदीन, निवासी – ग्राम धोंधनखेड़ा मजरा बरौली खलीलाबाद, लखनऊ 2:– श्रीराम / गुरूदीन, निवासी – ग्राम धोंधनखेड़ा मजरा बरौली खलीलावाद, लखनऊ
9	165	1666 / 1 0.655	1:– श्री संदीप सिन्हा / शैलेन्द्र नाथ सिन्हा, निवासी सिविल लाइन, बाराबंकी **नोटः प्रश्नगत खसरे की 0.655 हे0 भूमि की रजिस्ट्री परिषद पक्ष में हो चुकी है।**

आवास आयुक्त

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

सेवोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं0– 1604/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–(पत्रा0क्रमांक–99, भाग–2) दिनांक 11.01.2017

नोटिस

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–33 के अन्तर्गत नोटिस)

लखनऊ शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ शहर में ''सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ'' बनायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में ''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–28 के अन्तर्गत नोटिस संख्या–1245/भू0अ0–दो दिनांक 17.07.2004 का प्रकाशन उत्तर प्रदेश गजट में क्रमशः दिनांक 07.08.2004, दिनांक 14.08.2004 एवं दिनांक 21.08.2004 को कराया गया था जिसमें समाविष्ट योजना की सीमायें निम्न प्रकार हैं:–

उत्तर:– लखनऊ सुल्तानपुर रोड खसरा संख्या–1051, ग्राम सरसवाँ परगना बिजनौर, तहसील एव जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या–626, ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

पूरब:– खसरा संख्या 631, 639, 638, 640, 641, 642, 643 ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 64, 50, ग्राम चक कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या–646, ग्राम अहमामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, तथा खसरा संख्या– 3, 2, 1, 12, 15, 16, 17, 18 ग्राम चक कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

दक्षिण:– नहर खसरा संख्या 367, 371, ग्राम निजामपुर मझगांवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 281, 277, ग्राम बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या– 319, ग्राम निजामपुर मझगांवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, खसरा संख्या 276, 275, ग्राम बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 695 भाग, 721, 718, 721, 716, 710, 711, 712, ग्राम सेवई, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम सरथुआ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा बिरूरा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

पश्चिम:– लखनऊ रायबरेली रेलवे लाइन की सीमा स्थित ग्राम बरौली खलीलाबाद, ग्राम शकूलरपुर, ग्राम हरिहरपुर, ग्राम मलाक, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, तथा सीमा दिलकुशा छावनी, परगना, तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 1250, 1556, 1257, 1259, 1231, 1226, 1227 ग्राम सरसवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–7, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरानगर, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।

उक्त योजना के सम्बन्ध में परिषद अधिनियम–1965 की धारा–28 से 31 तक की अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अन्तिम रूप से परिषद अधिनियम–1965 की धारा–32 (I) का प्रकाशन दिनांक 07.10.2006 को कराते हुये 1524.33 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु योजना संचालित की गयी। तदोपरान्त 646.97 एकड़ भूमि का एवार्ड घोषित किया गया।

योजना का सुचारू रूप से संचालन किये जाने के उपरान्त परिषद अधिनियम–1965 की धारा–28 दिनांक 07.08.2004 को एवं धारा–32 (I) दिनांक 07.10.2006 को प्रकाशित अधिसूचना के दृष्टिगत परिषद के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम बरौली खलीलाबाद, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या–1665 का रकबा त्रुटिपूर्ण रूप से 93 बीघा (23.52 हे0) के स्थान पर 73 बीघा (18.468 हे0) अंकित है, जबकि उक्त भूमि परिषद की योजना के अन्दर है, जो परिषद के लिये वांछित है।

उक्त त्रुटि के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप में यह दृष्टिगोचर हुआ कि परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ ही नहीं प्रभावित हुयी, बल्कि जनमानस भी इससे प्रभावित हुआ क्योंकि योजना में आवासों हेतु जनमानस को भी असुविधा हुयी।

इस प्रकार बरौली खलीलाबाद की खसरा संख्या–1665 की कब्जा/अभिनिर्णय हेतु अवशेष कृषक भूमि रकबा 20 बीघा भूमि अधिग्रहण से छूट गयी और उस पर कोई आसुधार शुल्क अधिभारित नहीं हुआ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में परिवर्तन वांछनीय है। अतः मा0 परिषद की 239वीं बैठक दिनांक 21.10.2016 के मद संख्या–239/22 के द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–33 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये क्रमांक–01 से 13 तक उल्लिखित व्यक्तियों को इस आशय की नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई है कि परिषद के उक्त संशोधित प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां इस नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेंगे। यह भी सत्यापित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में निर्धारित तिथि तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त संशोधित प्रस्ताव से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और तदनुसार परिषद अग्रेतर विधिक कार्यवाही करेगी।

अतः प्रश्नगत खसरा संख्या–1665, ग्राम बरौली खलीलाबाद की निम्नांकित तालिका के क्रमांक 01 से 13 तक में उल्लिखित कब्जा/अभिनिर्णय हेतु अवशेष भूमि हेतु संशोधित प्रस्ताव पर जिन काश्तकारों/भूस्वामियों को यदि कोई आपत्ति हो तो इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्तियां कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–7, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरानगर, लखनऊ में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

भूमि का विवरण:– खसरा संख्या–1665, ग्राम बरौली खलीलाबाद, परगना–बिजनौर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ

क्रमांक	पुराना खाता संख्या	नवीन खाता संख्या	रकबा हे0 में	काश्तकार का नाम	अभिनिर्णय घोषित क्षेत्रफल (हे0में)	कब्जा/अभिनिर्णय हेतु अवशेष क्षेत्रफल (हे0में)
1	473	252	2.491	सर्वजीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह		1.2455
2	''	''	''	सवेन्दर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह	1.1795	0.066
3	311	159	0.379	मंशाराम पुत्र रामदयाल		0.379
4	27	18	0.126	राम लोटन	0.0315	0.0945
5	218	119	0.013	बाबूलाल गंगाप्रसाद आदि		0.013
6	300	158	0.063	मंशा राम पुत्र रामदयाल		0.063
7	443	229	1.770	शिव प्रसाद, बिन्दा प्रसाद	1.704	0.066
8	256	139	0.506	मनप्रीत सिंह		0.506
9	151	277	0.379	श्रीमती दयावती		0.379
10	122	68	0.126	जगन्नाथ आदि		0.126
11	329	122	0.025	श्रीमती राधादेवी		0.025
12	231	121	0.253	बांकेलाल आदि		0.253
13	256	139	1.264	मनप्रीत सिंह		1.264
14	558	–	0.696	ऊसर		0.696
					अवशेष रकबा	5.176

आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-7
आफिस काम्पलेक्स (द्वितीय तल), भूतनाथ मन्दिर मार्ग, इन्दिरा नगर,
लखनऊ। दूरभाष स0-0522-2312029 E-mail- cd7lko@upavp.com

पत्रांक- 795/Y-5/141 दिनांक- 26.04.2018

परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने हेतु आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद, घुसवल कला, सेंवई, देवामऊ, बरौना, अहमामऊ, हरिहरपुर की अधिग्रहीत भूमि में से जिन भूस्वामियों द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से करार नहीं किया गया है, उस अवशेष भूमि का अनिवार्य अभिनिर्णय आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 30.08.2017 को घोषित किया जा चुका है। उक्त ग्रामों की अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भुगतान प्राप्त करने हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा धारा-37(2) का सूचना पत्र/विज्ञप्ति जारी कर यह अनुरोध किया गया था कि सम्बन्धित हितबद्ध भू-स्वामी वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपनी अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कलेक्ट्रेट कक्ष संख्या-33, लखनऊ से प्राप्त कर लें, परन्तु अभी भी कुछ भूस्वामियों द्वारा प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया है। हितबद्ध भूस्वामियों को यह सूचना दी जाती है कि अपनी अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर एक माह के भीतर प्राप्त कर लें अन्यथा की स्थिति में देय धनराशि नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में आर0डी0 मद (राजकीय कोष) मे जमा करने हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) को सूचित कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

पत्रांकः– 1041/एल0ए0सी0/एच0क्यू–111(कब्जा/एवार्ड/प्रतिकर) दिनांकः– 14.09.2017

आवश्यक सूचना

"सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलाँ, सेवई, देवामऊ, बरौना, अहमामऊ, हरिहरपुर की अधिग्रहीत भूमि में से जिन भू–स्वामियों द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से करार नहीं किया गया है, उस अवशेष भूमि का अनिवार्य अभिनिर्णय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक–30.08.2017 को घोषित किया जा चुका है। उक्त ग्रामों की अधिग्रहित भूमि से सम्बन्धित हितबद्ध भू–स्वामी वाँछित औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपनी भूमि का प्रतिकर कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कलेक्ट्रेट, कक्ष संख्या–33, लखनऊ से प्राप्त कर लें।"

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

सेवोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांक :- 1041/एल0ए0सी0/एच0क्यू-111(कब्जा/एवार्ड/प्रतिकर) दिनांक :- 14.09.2017

आवश्यक सूचना

''सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-बरौली खलीलाबाद, (मु)सवलकलाँ, सेवई, देवामऊ, बरौना, अहमामऊ, हरिहरपुर की अधिग्रहीत (भू)मि में से जिन भू-स्वामियों द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से (क)रार नहीं किया गया है, उस अवशेष भूमि का अनिवार्य अभिनिर्णय (आ)युक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक-(3)0.08.2017 को घोषित किया जा चुका है। उक्त ग्रामों की अधिग्रहित भूमि (के) सम्बन्धित हितबद्ध भू-स्वामी वाँछित औपचारिकताओं को पूर्ण कर (अ)पनी भूमि का प्रतिकर कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कलेक्ट्रेट, कक्ष संख्या-33, लखनऊ से (प्रा)प्त कर लें।''

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

पत्रांक:– 1041/एल0ए0सी0/एच0क्यू–111(कब्जा/एवार्ड/प्रतिकर) दिनांक:– 14.09.2017

आवश्यक सूचना

''सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलाँ, सेवई, देवामऊ, बरौना, अहमामऊ, हरिहरपुर की अधिग्रहीत भूमि में से जिन भू–स्वामियों द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से करार नहीं किया गया है, उस अवशेष भूमि का अनिवार्य अभिनिर्णय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक–30.08.2017 को घोषित किया जा चुका है। उक्त ग्रामों की अधिग्रहित भूमि से सम्बन्धित हितबद्ध भू–स्वामी वाँछित औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपनी भूमि का प्रतिकर कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कलेक्ट्रेट, कक्ष संख्या–33, लखनऊ से प्राप्त कर लें।''

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

क्रम- संख्या-44

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस.एस.पी./एल.-डब्लू./एन.पी.-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 फरवरी, 2016

माघ 29, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 17/तीन-2016-47-2(06)-93

लखनऊ, 18 फरवरी, 2016

अधिसूचना

प.आ.-135

युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल एतद्द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी करने के अपने अभिप्राय की सूचना दोहराते हैं, जिसमें नीचे अधिसूचित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास करने का, इस सूचना के प्रकाशित होने के बाद जहाँ तक सम्भव हो लगभग एक सप्ताह बीत जाने पर प्राधिकार दिया जायेगा, जिसकी प्रथम सूचना उक्त धारा की उपधारा (3) के अपेक्षानुसार दिनांक 29 जून, 2015 के सरकारी गजट में अधिसूचना संख्या 532/तीन-15-47-2(06)-93, दिनांक 29 जून, 2015 में पहले प्रकाशित की जा चुकी है।

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

उत्तर	-	लखनऊ-सुलतानपुर रोड।
दक्षिण	-	ग्राम-मलाक की सीमा से सटे हुये ग्राम हरिहरपुर के खसरा संख्या 397 से जाने वाली हरिहरपुर पक्के मार्ग (खसरा संख्या 386) से शहीद पथ।
पूर्व	-	ग्राम-सरसावाँ की पूर्वी सीमा ग्राम-अहमामऊ की नाला खसरा संख्या 1165 तक व ग्राम अहमामऊ की 1165 से शहीद पथ की पश्चिम सिरे से होते हुये हरिहरपुर की खसरा संख्या 628 तक।
पश्चिम	-	लखनऊ-उतरेठिया रेलवे लाइन व ग्राम मलाक की पूर्वी सीमां ग्राम हरिहरपुर की गाटा संख्या-397 तक।
टिप्पणी	-	ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्र का स्थल नक्शा लखनऊ के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

मणि प्रसाद मिश्र,

सचिव

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the Publication of the following English translation of notification no. 17/III-2016-47-2(06)-93, dated February 18, 2016 for general information:

No. 17/III-2016-47-2(06)-93

Dated Lucknow, February 18, 2016

In exercise of the powers under sub-section (4) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act no. V of 1938), the Governor hereby repeats the notice of his intention to issue a notification under sub-section (2) of the said section authorizing the carrying out of field firing and artillery practice throughout the area notified below, or any specified part thereof during the period commencing from the First day of October, 2015 and ending with the Thirtieth day of September, 2020 on the expiry of one week as nearly as may be after the publication of this notice, the first notice as required by sub-section (3) of the said section having been previously published by notification number 532/III-15-47-2(06)-93, dated June 29, 2015 in the official Gazette date June 29, 2015.

SCHEDULE

Details of Area

North	-	Lucknow-Sultanpur Road.
South	-	Attach with the border of village malaak, Khasra no. 397 of village Hariharpur through Hariharpur Pucca road (Khasra No. 386) to Shaheed Path.
East	-	To Khasra no. 1165 of village Ahmamau, eastern border of village Sarsawan and from Khasra no. 1165 of village Ahmamau to western point of Shaheed Path to Khasra no. 628 of Hariharpur.
West	-	Lucknow-Uthretia Railway Line and to Gata no. 397 of village, Hariharpur situated on the border of village Malaak.
Note:-		A site plan of the area specified above may be inspected in the office of the Collector, Lucknow

By order,

MANI PRASAD MISHRA,

Sachiv

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-सप्तम्

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

ऑफिस काम्प्लेक्स (द्वितीय तल), भूतनाथ मन्दिर मार्ग, इन्दिरा नगर, लखनऊ

दूरभाष सं0: 0522-2312029, ई-मेल: constructiondivision7@rediffmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक: 230/Y–18/13 दिनांक: 20/02/15

सार्वजनिक सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित अवध विहार योजना, लखनऊ के पॉकेट –1 में स्थित ग्राम–हरिहरपुर, घुसवल कला, बरौली खलीलाबाद, देवामऊ, सेवई तथा बरौना की अधिग्रहीत भूमि में कुछ लोगों द्वारा बिना परिषद की अनुमति के क्रय–विक्रय, भवन निर्माण, पुर्ननिर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन करके अतिक्रमण कर लिया गया है। परिषद की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस व ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, योजना की ट्रंक सड़कों, ग्रीन बेल्ट आदि जन सुविधाओं में पड़ने वाले निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाया जाना अपेक्षित है। पूर्व में भी समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराते हुये अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमणों को हटाये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

पुनः इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अपेक्षा की जाती है, कि अनधिकृत निर्माणकर्ता, जिनके द्वारा बिना परिषद की अनुमति के भूमि का क्रय–विक्रय तथा नियम विरुद्ध निर्माण किया गया है, वे दिनांक–26.02.2015 तक स्वयं इन निर्माणों/अतिक्रमणों को हटा लें। अन्यथा दिनांक–26.02.2015 के पश्चात् किसी भी दिन अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया जायेगा। इससे होने वाले नुकसान के लिए अतिक्रमणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। ध्वस्तीकरण पर आने वाले विभागीय–व्यय की वसूली सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता/अनधिकृत निर्माणकर्ताओं से की जायेगी।

सक्षम अधिकारी

IS 15700:2005

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-सप्तम्

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

सेवोत्तम प्रमाणित

ऑफिस काम्प्लेक्स (द्वितीय तल), भूतनाथ मन्दिर मार्ग, इन्दिरा नगर, लखनऊ
दूरभाष सं0: 0522-2312029, ई-मेल: constructiondivision7@rediffmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक: 663/Y-18 दिनांक: 12/05/15

सार्वजनिक सूचना

उ0प्र0 आवास एव विकास परिषद द्वारा संचालित अवध विहार योजना, लखनऊ के पॉकेट -1 में स्थित ग्राम-हरिहरपुर, घुसवल कला, बरौली खलीलाबाद, देवामऊ, सेवई तथा बरौना की अधिग्रहीत भूमि में कुछ लोगों द्वारा बिना परिषद की अनुमति के क्रय-विक्रय, भवन निर्माण, पुर्ननिर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन करके अतिक्रमण कर लिया गया है। परिषद की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस व ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, योजना की ट्रंक सड़कों, ग्रीन बेल्ट आदि जन सुविधाओं में पड़ने वाले निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाया जाना अपेक्षित है। दिनांक 22.2.2015 को एवं इसके पूर्व भी कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराते हुये अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमणों को हटाये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

एतद्द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पुन: अपेक्षा की जाती है, कि अनधिकृत निर्माणकर्ता, जिनके द्वारा बिना परिषद की अनुमति के भूमि का क्रय-विक्रय तथा नियम विरुद्ध निर्माण किया गया है, वे दिनांक-18.05.2015 तक स्वयं इन निर्माणों/अतिक्रमणों को हटा लें। अन्यथा दिनांक- 18.05.2015 के पश्चात् किसी भी दिन अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया जायेगा। इससे होने वाले नुकसान के लिए अतिक्रमणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा ध्वस्तीकरण पर आने वाले विभागीय-व्यय की वसूली सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता/अनधिकृत निर्माणकर्ताओं से की जायेगी।

सक्षम अधिकारी

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

संख्या: 657/आठ–वि0भू0अ0अ0/आवास दिनांक: 10/01/2014

शुद्धि पत्र

जनपद लखनऊ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना लखनऊ में प्रभावित भूस्वामियों को अग्रिम प्रतिकर के भुगतान हेतु पत्रांक मेमो/आठ–अ0जि0अ0 (भू0अ0) आवास दिनांक 27.09.2008 द्वारा 80 प्रतिशत टेन्डर भुगतान से सम्बन्धित सूचना पत्र निर्गत किया गया था। उक्त सूचना पत्र में त्रुटिवश धारा 32 की अधिसूचना संख्या 925/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–III(2) दिनांक 30.09.2006 का गजट में प्रकाशन दिनांक 07.10.2004 को होना प्रकाशित हो गया है जबकि उक्त अधिसूचना दिनांक 30.09.2006 का गजट में प्रकाशन दिनांक 07.10.2006 को हुआ था।

अतः पूर्व में निर्गत उक्त सूचना पत्र दिनांक 27.09.2008 में धारा 32 की अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि 07.10.2004 के स्थान पर 07.10.2006 पढ़ा जाये।

(सुधीर कुमार रुगटा)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
आवास इकाई, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, [illegible]

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

[illegible]

पत्रांक : 286/Y–18/04

दिनांक : 23/2/2013

आवश्यक सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित अवध विहार (सुल्तानपुर रोड) योजना, लखनऊ में प्रस्तावित 45.00 मी0 चौड़ी मास्टर प्लान सड़कों पर कतिपय अवैध निर्माणों के कारण सड़क का निर्माण बाधित हो रहा है। अतः सड़कों के एलाइनमेन्ट/क्षेत्र में आने वाले निर्माणकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस विज्ञप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निर्माण हटा लें अन्यथा उक्त अवधि के बाद परिषद द्वारा इन सड़कों पर स्थित निर्माण हटवा दिये जायेंगे तथा इस पर आने वाला व्यय निर्माणकर्ताओं से वसूल किया जायेगा।

उक्त योजना की नियोजन समिति द्वारा जिन निर्माणों के समायोजन हेतु संस्तुति की गई हैं, उनके समायोजन की कार्यवाही हेतु एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र मय सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों के इस कार्यालय अथवा योजना के सेक्टर–4 में स्थित स्टोर/स्थल कार्यालय में श्री बी0के0 यादव, अवर अभियन्ता को दे सकते हैं।

आदेशानुसार

अधिशासी अभियन्ता

~~अमर उजाला~~ दि० 12-4-2013

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-सप्तम

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

(आई एस ओ 9001-2000 प्रमाणित संस्था)

आफिस काम्पलेक्स (द्वितीय तल), भूतनाथ मन्दिर मार्ग, इन्दिरा नगर, लखनऊ

पत्रांक: 660/Y–41/01 दिनांक: 10/4/2013

आवश्यक सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित अवध विहार योजना, लखनऊ में शहीद पथ के किनारे प्रस्तावित/निर्माणाधीन 45 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य कुछ अवैध निर्माणों के कारण बाधित हो रहा है। जनहित में सड़क निर्माण हेतु अवैध निर्माण हटाया जाना आवश्यक है। अतः सड़क के एलाइनमेन्ट/क्षेत्र में आने वाले निर्माणकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस विज्ञप्ति की तिथि से दस दिवस के अन्दर निर्माण हटा लें। अन्यथा, परिषद द्वारा उक्त अवैध निर्माण हटवा दिये जायेंगे जिस पर आने वाला व्यय अवैध निर्माणकर्ताओं से वसूल किया जायेगा।

परिषद योजना की इस भूमि से सम्बन्धित वाद सं0–4042 (एम0बी0)/2011 श्रीमती देवान्ती देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0–5598 (एम0बी0)/2011, राजपाल कनौजिया व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में वादीगणों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण पूर्व में किया जा चुका है। तदनुसार सम्बन्धित व्यक्ति/पक्षकार सूचित हों।

अधिशासी अभियन्ता

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-सप्तम

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

ऑफिस काम्प्लेक्स (द्वितीय तल), भूतनाथ मन्दिर मार्ग, इन्दिरा नगर, लखनऊ

दूरभाष सं0 : 0522-2312029, ई-मेल : constructiondivision7@rediffmail.com

पत्रांक : 1659/Y-18/97 दिनांक : 03/10/13

आवश्यक सूचना

अवध विहार (सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान) योजना, लखनऊ के अन्तर्गत ट्रंक सड़को/सर्विसेज के क्षेत्र में पड़ने वाले निर्माणों के बाबत दिनांक 24.02.2013 एवं दिनांक 12.04.2013 को स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय का नोटिस प्रकाशित कराया गया था कि अवैध निर्माणकर्ता अपने निर्माणों को स्वतः हटा लें। परन्तु, कुछ को छोड़कर अधिकांश निर्माणकर्ताओं ने अपने निर्माण नही हटाये हैं। अपितु, नगराम रोड के समानान्तर 45.00 मी0 चौड़ी रोड के भाग में तथा सन्निकट भू-पट्टी में कुछ नये अवैध निर्माण किये जा रहे हैं, जिसे हटाया जाना योजना हित में आवश्यक है।

शहीद पथ के समानान्तर योजना की 45.00 मी0 चौड़ी सड़क के जंक्शन के समीप श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा दिनांक 20.09.2013 से अवैध निर्माण/कब्जा किया जा रहा है, जिसको रोकने के निर्देश स्थल पर ही दिये गये थे। इस प्रकरण पर नोटिस जारी करके तथा सुनवाई हेतु तिथि 10.10.2013 (समय 11.00 बजे पूर्वान्ह) नियत है। अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि परिषद की अधिग्रहीत भूमि पर अवैध निर्माण कतई न करें अन्यथा अवैध निर्माणों को ध्वस्त करा दिया जायेगा तथा इस पर आने वाला व्यय निर्माणकर्ताओं से वसूल किया जायेगा। आदेशानुसार

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू.अ.), उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

संख्याः- मेमो/आठ- अ.जि.अ. (भू.अ.) आवास

दिनांकः- 27-9-2008

80 प्रतिशत टेन्डर भुगतान से संबंधित सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम बरौली खलीलाबाद, अहमामऊ, बरौना, हरिहरपुर, घुसवलकलां, सेवई तथा देवामऊ परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की निम्न भूमि के अधिग्रहण हेतु आवास अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना संख्या 1245/भू.अ.-दो 17 जुलाई 2004 का प्रकाशन दिनांक 07-08-2004 को व धारा 32 की अधिसूचना संख्या 925/एल.ए.सी./एच क्यू-111(2) दिनांक 30-09-2006 का प्रकाशन दिनांक 07-10-2004 को गजट में हो चुका है तथा धारा 9/17 की आम व खास नोटिसे निर्गत की जा चुकी है। अर्जित भूमि का विवरण गजट के अनुसार निम्नवत हैः-

ग्राम देवामऊ.

खसरा संख्या 95 से खसरा संख्या 100, 103 से 109, 111 से 112, 114 से 118, 122, 125 से 193, 195 से 245, 24/246, 92/247 एवं 160/248 ।

ग्राम बरौली खलीलाबाद

खसरा संख्या 1571 से 1926 तक।

ग्राम बरौना

खसरा संख्या 01 से 116 तक।

ग्राम घुसवलकलां

खसरा संख्या 01 से 508, 254/509 तक।

ग्राम हरिहरपुर

खसरा संख्या 215 से 217, 219, 222, 232 से 241, 246 से 256, 265 से 269, 275, 281 से 317, 319, 321 से 322, 324 से 337, 339 से 349, 353, 356, 359, 371, 376 से 380, 383 से 384, 387, 390, 426 से 427, 429 से 432, 437, 441 से 442, 444 से 445, 447, 451 से 452, 458 से 461, 471, 492, 485 से 488, 504 से 505, 507 से 509, 546 से 547, 557, 571, 573, 588, 589, 632, 635, 636, 639, 642 से 801, 804 से 805, 807, 817 से 818, 821 से 822, 827 से 830, 833 से 836, 839 से 841, 845 से 846, 852, 854 से 874 तक।

ग्राम सेवई

खसरा संख्या 01 से 329 तक।

ग्राम अहमामऊ

खसरा संख्या 1103 से 1110, 1112, 1113, 1122 से 1126, 1128 से 1131, 1137 से 1162, 1165 से 1175, 1207 से 1216, 1219 से 1234, 1236, 1246 से 1249 एवं खसरा संख्या 1269 ।

उपर्युक्त भूमि से सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को 80 प्रतिशत अग्रिम प्रतिकर का भुगतान किया जाना है अतएव सभी हितबद्ध व्यक्ति निम्न अभिलेख प्रस्तुत कर दिनांक 01-10-2008 को अपना अग्रिम भुगतान प्राप्त कर लें:-

(1) अग्रिम प्रतिकर भुगतान से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र।
(2) शपथ पत्र जिसमें भूमि के विवाद मुक्त होने का उल्लेख किया गया हो।
(3) भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख मूल रूप में।
(4) पासपोर्ट साइज का फोटो।
(5) रसीदी टिकट।

(अभिराम प्रकाश)
अपर जिलाधिकारी (भू.अ.)
लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, Website - http://www.upavp.com E-Mail - upavp@Sanchamet.in

संख्या 1245 / भू.अ.दो. दिनांक 17.07.2004

Notice

Notice under Section 28 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam - 1965 (U.P Act No.-1 of 1966)

In View to solve the acute housing problem of Lucknow, Uttar ...desh Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called ...ltanpur Road Bhoomi Vikas Evam Grahsthan Yojna Lucknow. ...ndries of the scheme comprised area as follows.

... ...now Sultanpur Road Khasra No. 1051 Village ...sawa Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow and ...asara No. 626 Village Ahmamau Pargana, Bijnaur, tehsil & District Lucknow.

...st Khasra No. 631, 639, 638, 640, 641, 642, 643 Village ...amau Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow, ...ra No. 64, 50 village Chak Kajehra Pargana tehsil Moh... Ganj & District Lucknow and Khasara No. 646 Villag... ...amau Pargana Bijnaur, tehsil & District Luckno... Khasra No. 3, 2, 1, 12, 15, 16, 17, 18 village Chak Kaje... Pargana and tehsil Mohanlal Ganj & District Luckno... and Boundary of Village Hasanpur, Khewali, Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow

South Nahar Khasara No. 367, 371, Village Nijampur, Majhigawan, Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow, Khasara No. 281, 277 Village Barauna Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow, Khasara No. 319 Village Nijampur, Majhigawa, Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow Khasara No. 276, 275 Village Barauna, Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow and Khasara No. 695 part, 721, 718, 721, 716, 710, 711, 712 Village Sewai Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow and Boundary of Village Sarathuwa Pargana and Tehsil Mohanlal Ganj & District Lucknow and boundary of Village Virura Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow.

West Boundary of Railway line from Lucknow to Rai Bareilly situated at Village Barauli Khalilabad, Village Shakurpur, Village Hariharpur, Village Malak, Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow, Boundary of Dilkusha Chawani Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow and Khasara No. 1250, 1556, 1257, 1259, 1231, 1228, 1227, Village Sarsawa Pargana Bijnaur, tehsil & District Lucknow.

It is declared that when by the Execution of the Housing and Development Scheme aforesaid, any land in the area comprised in the scheme which may not be required for the execution there of, will in the opinion of the board be increased in value, "betterment fee" in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam 1965 shall be payable by the owner of the land and by every person having an interest there in respect of the increase in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of the area, particulars of the scheme and details of the land proposed to be acquired may be seen at the Office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section) Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer Nirman Khand-15 Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, H. No. 2-C, 120, 121, 122, Vrindavan Yojna-2, Rai Bareilly Road, Lucknow on any working day between 11.00 A. M. to 3.00 P.M.

Objection to the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner,(Land Acquisition Section) Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad 104, Mahatma Gandhi Marg , Lucknow, or in the Office of the Executive Engineer Nirman Khand-15 Uttar Pradesh, Avas Evam Vikas Parishad, H. No. 2-C, 120, 121, 122, Vrindavan Yojna-2, Rai Bareilly Road, Lucknow within 30 days from the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette, correct name of the scheme and full particular of the land / building / name of the village / Khasra plot no / area of the land and other details of the objector etc. within the scheme, should be clearly mentioned in every objection.

Owners\Occupiers of structures in the scheme area shall be liable to pay "Betterment Fee, Development Charges" to the Housing Board in accordance with the provisions of the Housing Board Act.

Vidya Nand Garg
Housing Commissioner

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ, Website - http://www.upavp.com E-Mail - upavp@Sanchamet.in

संख्या 1245/भू.अ.दो. दिनांक 17.07.2004

नोटिस

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–28 के अन्तर्गत नोटिस :–

लखनऊ शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ शहर में "सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ" बनायी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमायें निम्नवत हैं :–

उत्तर– लखनऊ सुल्तानपुर रोड खसरा संख्या–1051 ग्राम सरसवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा संख्या 626 ग्राम अहमामऊ परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

पूरब– खसरा सं0 631, 639, 638, 640, 641, 642, 643 ग्राम अहमामऊ परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा सं0 64, 50, ग्राम चक कजेहरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ तथा खसरा सं0 646 ग्राम अहमामऊ परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा सं0 3, 2, 1, 12, 15, 16, 17, 18, ग्राम चक कजेहरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

दक्षिण– नहर खसरा सं0 367, 371 ग्राम निजामपुर मझगांवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ खसरा सं0 281, 277, ग्राम बरौना परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ, खसरा सं0 319 ग्राम निजामपुर मझगांवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ, खसरा सं0 276, 275 ग्राम बरौना परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा सं0 695 भाग, 721, 718, 721, 716, 710, 711, 712 ग्राम सेवई परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा, ग्राम सरथुआ परगना व तहसील मोहनलाल गंज जिला लखनऊ तथा ग्राम सीमा बिरुरा परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

पश्चिम– लखनऊ रायबरेली रेलवे लाइन की सीमा स्थित ग्राम बरौली खलीलाबाद, ग्राम शकूलरपुर, ग्राम हरिहरपुर, ग्राम मलाक परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ तथा सीमा दिलकुशा छावनी, परगना व तहसील व जिला लखनऊ तथा खसरा सं0 1250, 1556, 1257, 1259, 1231, 1228, 1227 ग्राम सरसवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये आपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा, तो योजना के निष्पादन के फलस्वरुप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी व उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के प्राविधान के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–15, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, भवन सं0 2–सी, 120, 121, 122, वृन्दावन योजना सं0–2, रायबरेली रोड, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते है।

इस नोटिस के उ0 प्र0 सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियॉं कार्यालय आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ तथा कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–15, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, भवन सं0 2–सी, 120, 121, 122, वृन्दावन योजना सं0–2, रायबरेली रोड, लखनऊ में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का नाम, आपत्ति कर्ता का नाम, आपत्ति कर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण, ग्राम का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रुप से सही–सही अंकित होने चाहिये।

विद्यानन्द गर्ग
आवास आयुक्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

दिनांक 22/8/04

सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ शहर में रायबरेली रोड व सुल्तानपुर रोड के मध्य स्थित भूमि पर परिषद द्वारा आवासीय योजना चलाई जा रही है। इस हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 28 के अनुसार [illegible] जा चुका है।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा धारा 28 के प्रकाशन के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 35 के अनुसार भूमि के स्वरूप में परिवर्तन वर्जित है। ऐसा करने पर उक्त अधिनियम की धारा 35 का उल्लंघन माना जायेगा व धारा 73 के अनुसार भूस्वामी दण्ड के पात्र होंगे व ऐसा करने पर अनाधिकृत निर्माण को धारा 82 के तहत परिषद द्वारा ध्वस्त करा दिया जायेगा व इसमें व्यय हुई धनराशि की वसूली की जायेगी।

आज्ञा से

आवास [illegible]

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-15
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
(आई.एस.ओ.9001.2000 प्रमाणित संस्था)
वृन्दावन योजना रायबरेली रोड, लखनऊ
Website:http://www.upavp.com:E-mail:upavp@sancharnet.in

संख्या : 2355/य-2/161 दिनांक : 14.10.2004

सार्वजनिक सूचना

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद लखनऊ में सुल्तानपुर रोड एवं रायबरेली रोड के मध्य एक आवासीय योजना के अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस योजना में ग्राम देवामऊ, अहमामऊ, सरसवाँ, हरिहरपुर, घुसवल कला, निजामपुर मझगवा, बरौना, बरौली-खलीलाबाद, मलाक, मुजफर नगर घुसवल, यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, सकूर पुर एवं सेवाई ग्रामों की भूमि समाविष्ट है। कुछ व्यक्तियों द्वारा योजना के नोटिफाइड क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण कराया गया है जिसके हेतु कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर ध्वस्तीकरण आदेश निर्गत कर दिये गये है। सम्बन्धित व्यक्तियो से जिनका विवरण निम्नवत है यह अपेक्षा है कि वे अनाधिकृत निर्माण स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त निर्माण को बल पूर्वक हटाया जायेगा तथा तब इसमे व्यय होने वाले व्यय की वसूली भी नियमानुसार की जायेगी।

क्रम सं.	खसरा संख्या	ग्राम	अनाधिकृत निर्माण कर्ता का नाम
1	601	सेवई	श्री परशु राम
2	463	सेवई	श्री राम खेलावन
3	479	सेवई	श्री शत्रुधन लाल
4	461	सेवई	श्री राम प्रसाद
5	605	सेवई	श्री पंचम
6	144,145	सेवई	श्री अजय लेखपाल
7	466,467	सेवई	श्री विजय प्रकाश निगम
8	511	सेवई	[illegible]
9	100	सेवई	श्री पुत्तो लाल
10	1119,1120	सरसवॉ	श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला
11	1345	सरसवॉ	श्रीमती शिव कुमारी
12	1119,1120	सरसवॉ	श्री विवेक सिंह
13	1385,1386,1387	सरसवॉ	श्री निरंजन
14	1027	अहमामऊ	श्री शंकर
15	995	अहमामऊ	श्री कन्हई लाल
16	1138	अहमामऊ	श्रीमती कल्याणी
17	1022	अहमामऊ	श्री महराज बक्श सिंह
18	732	अहमामऊ	श्री शिव चरन सिंह
19	718,719,731	अहमामऊ	सचिव मौसम बाग कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी

अधिशासी अभियंता

दैनिक हिन्दुस्तान 26.11.04 | दैनिक जागरण 26.11.04

ISO 9001 | VRAS

उ0प्र. आवास एवं विकास परिषद

१०४, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

आई0एस0ओ0 9001-2000 प्रमाणित संस्था

website:http://www.upavp.com E-mail: upavp@sanchar.net.in

आवश्यक सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जिसका कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 4465.39 एकड़ है। परिषद अधिनियम 1965 की धारा–28 के अन्तर्गत भूमि अधिगृहण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 7.8.2004 को समाचार पत्रों एवं गजट में प्रकाशित करायी जा चुकी है तथा धारा–29 के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां प्राप्त करके धारा–30 के अन्तर्गत नियोजन समिति द्वारा प्रत्येक आपत्तिकर्ता को सुना जा रहा है।

परिषद द्वारा अधिगृहीत भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य करना परिषद अधिनियम 1965 की धारा–73 एवं धारा–82 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित रायबरेली व सुल्तानपुर रोड के मध्य स्थित ग्राम–घुसवलकला, देवामऊ, सेवई, सरसावा, मलाक, बरौना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर घुसवल, यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, अहमामऊ, बरौली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से क्रय/विक्रय न किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.08.2004/17.10.2004 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र, दिनांक 06.11.2004 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी जा चुकी है परन्तु इसके पश्चात भी कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से भूमि क्रय कर भूखण्ड/भवनों की बुकिंग की जा रही है।

अतः सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना के अन्तर्गत उतरठिया रेलवे स्टेशन से शहीद पथ के मध्य **कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा प्लाटों/भवनों की बुकिंग प्रारम्भ की है वह पूर्णतः अवैध है।** यदि कोई व्यक्ति इस योजना में प्लाटों/भवनों की बुकिंग कराता है अथवा क्रय विक्रय करता है तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
वृन्दावन वृत्त

हिन्दुस्तान दिनांक 26/11/04

ISO 9001 | VRAS

उ0प्र. आवास एवं विकास परिषद

१०४, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

आई0एस0ओ0 9001-2000 प्रमाणित संस्था

website:http://www.upavp.com E-mail: upavp@sanchar.net.in

आवश्यक सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जिसका कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 4465.39 एकड़ है। परिषद अधिनियम 1965 की धारा–28 के अन्तर्गत भूमि अधिगृहण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 7.8.2004 को समाचार पत्रों एवं गजट में प्रकाशित करायी जा चुकी है तथा धारा–29 के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां प्राप्त करके धारा–30 के अन्तर्गत नियोजन समिति द्वारा प्रत्येक आपत्तिकर्ता को सुना जा रहा है।

परिषद द्वारा अधिगृहीत भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य करना परिषद अधिनियम 1965 की धारा–73 एवं धारा–82 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित रायबरेली व सुल्तानपुर रोड के मध्य स्थित ग्राम–घुसवलकला, देवामऊ, सेवई, सरसावा, मलाक, बरौना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर घुसवल, यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, अहमामऊ, बरौली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से क्रय/विक्रय न किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.08.2004/17.10.2004 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र, दिनांक 06.11.2004 को दैनिक जागरण समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी जा चुकी है परन्तु इसके पश्चात भी कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से भूमि क्रय कर भूखण्ड/भवनों की बुकिंग की जा रही है।

अतः सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना के अन्तर्गत उतरठिया रेलवे स्टेशन से शहीद पथ के मध्य **कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा प्लाटों/भवनों की बुकिंग प्रारम्भ की है वह पूर्णतः अवैध है।** यदि कोई व्यक्ति इस योजना में प्लाटों/भवनों की बुकिंग कराता है अथवा क्रय विक्रय करता है तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
वृन्दावन वृत्त

दैनिक जागरण दिनांक 26/11/04.

उ0प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आई0एस0ओ0 9001-2000 प्रमाणित संस्था
website:http://www.upavp.com E-mail : upavp@sancharnet.in

आवश्यक सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सुल्तानपुर योजना में समाविष्ट ग्राम–घुसवलकला, देवामऊ, सेवई, ा, मलाक, बरौना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर ल, यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, ामऊ, बरौली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा सूचित क्षेत्र में कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा ाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अवैध रूप से भवनों/भूखण्डों की ंग की जा रही है।

अतः यदि कोई व्यक्ति परिषद की इस अधिसूचित योजना अन्तर्गत प्राइवेट कालोनाइजर्स, समितियों अथवा अन्य क्तियों के माध्यम से भूखण्डों/भवनों आदि की बुकिंग कराता तो उसके द्वारा विनियोजित की गयी धनराशि विवाद में पड़ कती है तथा आर्थिक क्षति भी हो सकती है। अतः जनहित में र्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की योजना के न्तर्गत भूखण्डों/भवनों को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य के ाध्यम से धनराशि विनियोजित न करें।

अधीक्षण अभियन्ता
वृन्दावन वृत्त

दैनिक जागरण 28/11/2005

उ0प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आई0एस0ओ0 9001-2000 प्रमाणित संस्था
ISO 9001
website:http://www.upavp.com E-mail : upavp@sancharnet.in

आवश्यक सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सुल्तानपुर रोड योजना में समाविष्ट ग्राम–घुसवलकला, देवामऊ, सेवई, सरसवा, मलाक, बरौना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर घुसवल, यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, अहमामऊ, बरौली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अवैध रूप से भवनों/भूखण्डों की बुकिंग की जा रही है।

अतः यदि कोई व्यक्ति परिषद की इस अधिसूचित योजना के अन्तर्गत प्राइवेट कालोनाइजर्स, समितियों अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से भूखण्डों/भवनों आदि की बुकिंग कराता है तो उसके द्वारा विनियोजित की गयी धनराशि विवाद में पड सकती है तथा आर्थिक क्षति भी हो सकती है। अतः जनहित में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/भवनों को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य के माध्यम से धनराशि विनियोजित न करें।

अधीक्षण अभियन्ता
वृन्दावन वृत्त

TOI 28/11/05

सार्वजनिक सूचना

[illegible] भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित ग्राम के भूमि काश्तकारों/आपत्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि आपकी आपत्तियों की सुनवाई निम्नानुसार सिंचाई विभाग के डाक बंगला, तेलीबाग में होना निश्चित हुआ है। कृपया निम्न दिनांक को आपत्तियों की सुनवाई के लिये नियोजन समिति के समक्ष उपस्थित होने का कष्ट करें।

दिनांक	आपत्तियों की सुनवाई हेतु ग्रामों का नाम
15.12.2004 एवं 16.12.2004	1. सरसवाँ 2. निजामपुर मझगवाँ 3. मुजफ्फरनगर घुसवल 4. पुत्तूरनगर उर्फ [illegible]
18.12.2004 [illegible]	1. घुसवल कलाँ 2. बरौना 3. बरौली खलीलाबाद 4. [illegible]पुर 5. हरिहरपुर 6. मलाक

अधिशासी अभियन्ता

2004

[illegible]

[illegible] खादी भारत – 2004 – अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, अम्बेडकर मैदान, लखनऊ में दिनांक 24 दिसम्बर, 2004 से 10 जनवरी, 2005 तक उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, खादी और ग्रामोद्योग, कृषि, लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में खादी तथा ग्रामोद्योग की इकाईयों हेतु प्रयुक्त होने वाले मशीन/उपकरण निर्माताओं के उत्पादों को प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। अब तक लगभग 500 खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योग के स्टाल आवंटित किये जा चुके हैं।

[illegible] रु० 25.00 लाख तक के पूँजी निवेश की खादी ग्रामोद्योग में प्रयुक्त होने वाले मशीन/उपकरण के निर्माता प्रदर्शनी में अपने उत्पादों के प्रदर्शन करने हेतु आमंत्रित हैं। मशीन-उपकरण निर्माताओं के लिए रु० 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) के रियायती दर पर प्रदर्शनी स्थल पर स्टाल/स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक मशीन निर्माता तत्काल सम्पर्क करें –

प्रदर्शनी अधिकारी
उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
8, तिलक मार्ग, लखनऊ
दूरभाष – (0522) 2207004, फैक्स – (0522) 2208243

जनहित में आवश्यक सूचना

मा. उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या : 188 (एम/बी)/2005, तथा जनहित याचिका संख्या : 332 (एम/बी)/2005 में दिनांक 27.01.05 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जन साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

1. उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, लखनऊ में आवासीय प्रयोजन हेतु शासन की अनुमति से उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28 के अंतर्गत 4465.398 एकड़ का दिनांक 27.07.04 को समाचार पत्रों में तथा दिनांक 07.08.04 को गजट में प्रकाशित कराया गया है, जिसके अंतर्गत क्रमशः ग्राम-अहमामऊ, घुसवल कलाँ, दवामऊ, सेवई, सरसवाँ, मलाक, बरौना, निजामपुर मजगवाँ, मुजफ्फरनगर, घुसवल, यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, हरिहरपुर, शकुरपुर, बरौली खलीलाबाद की भूमि समाविष्ट है।

2. उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-35 के अंतर्गत धारा 28 के नोटिफिकेशन के पश्चात् कोई भी व्यक्ति जब तक कि योजना परित्यक्त या स्वीकृत न कर दी जाय, योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन या किसी भूमि को विकसित करने का कार्य नही करेगा। यह कार्य प्रतिबन्धित होगा।

3. धारा-28 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में मै. अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., लखनऊ के पक्ष में शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है।

4. धारा-28 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में मै. अन्सल प्रापर्टीज़ एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., लखनऊ के पक्ष में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) की स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है।

5. मै. अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा दिनांक 29.01.05 को समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित करायी गयी थी उसमें शासनादेश संख्या : 2605 / 9-आ-1-96, दिनांक 18.06.96 का उल्लेख किया गया है जो उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद पर लागू नही है। यह शासनादेश प्राधिकरणों पर लागू है, जिसमें प्राधिकरणों द्वारा समस्त बिल्डर्स व डेवलपर्स को समान अवसर देते हुए भूमि आवंटन की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी ताकि किसी प्रकार की आलोचना / आरोप का अवसर न रहे। बिना सार्वजनिक विज्ञापन के किसी एक बिल्डर या डेवलपर को आवासीय भूमि शासनादेश एवं नियमों के अंतर्गत देना सम्भव नहीं है।

2- उक्त परिस्थितियों में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी बिल्डर अथवा डेवलपर के पक्ष में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की ''सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना'' के अधिसूचित क्षेत्र में शासन अथवा परिषद द्वारा आवासीय कालोनी निर्माण की न तो अनुमति प्रदान की गयी है और न ही अभी तक कोई भूमि आवंटित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी संस्थाओं से क्रय-विक्रय करता है, तो वह अवैध होगा एवं इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

जे.एस. मिश्र
सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था
[illegible] महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
[illegible]

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

ISO 9001

www.upavp.com

आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सुल्तानपुर रोड योजना में समाविष्ट ग्राम–घुसवलकला, देदामऊ, सेवई, सरसवा, मलाक, बरौना, निजामपुर मझगवा, मुज्जफरनगर घुसवल, यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, हरिहर पुर, शकूरपुर, अहमामऊ, बरौली खलीलाबाद की भूमि पर परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में कुछ कालोनाइजर्स एवं निजी निर्माताओं द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अवैध रूप से भवनों/भूखण्डों की बुकिंग की जा रही है।

अतः यदि कोई व्यक्ति परिषद की इस अधिसूचित योजना के अन्तर्गत प्राइवेट कालोनाइजर्स, समितियों अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से भूखण्डों/भवनों आदि की बुकिंग कराता है तो उसके द्वारा विनियोजित की गयी धनराशि विवाद में पड़ सकती है तथा आर्थिक क्षति भी हो सकती है। अतः जनहित में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/भवनों को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य के माध्यम से धनराशि विनियोजित न करें।

अधीक्षण अभियन्ता

वृन्दावन वृत्त

दि॰ 6 ... 28/11/05